



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 30 नवम्बर, 2016 ई0

अग्रहायण 09, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 347/XXXVI(3)/2016/53(1)/2016

देहरादून, 30 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध विधेयक, 2016” पर दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 23 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम, 2016

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 23, वर्ष 2016)

उत्तराखण्ड राज्य को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त रखने हेतु, कूड़ा कचरा, फेंकना एवं थूकने को प्रतिबन्धित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत रूप में अधिनियमित हो।

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :

- 1.(1) इस अधिनियम का नाम संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध" अधिनियम, 2016 है।
- (2) यह अधिनियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
- (3) यह अधिनियम उत्तराखण्ड राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारिता के अधीन सम्पूर्ण क्षेत्र में लागू होगा।

इस अधिनियम से असंगत विधियों का प्रभाव :

2. इस अधिनियम के उपबन्ध किसी अन्य विधि में अन्तर्दिष्ट किसी बात के असंगत होते हुए भी प्रभावी होंगे;

परिभाषाएं :

3. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: -
 - (क) "प्राधिकृत अधिकारी" से नगर निकाय के कार्यपालक अधिकारी, स्वास्थ्य/चिकित्सा अधिकारी, मुख्य सफाई निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, उत्तराखण्ड पुलिस का अधिकारी जो निरीक्षक से नीचे की श्रेणी का न हो, राजस्व अधिकारी, जो राजस्व निरीक्षक से नीचे की श्रेणी का न हो, या अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र हेतु जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है;
 - (ख) "भवन" से कोई इमारत, परिसर, मकान, झोंपड़ी, स्टॉल, छतयुक्त अहाता चाहे इसका उपयोग मानवीय आवास हेतु होता हो या अन्यथा, तथा साथ ही कोई दीवार, बाड़ा, मंच, मचान, गेट, डाक, स्तंभ, अहाता, सेतु या पूर्वगामी से संबंधित कोई संरचना, समर्थन या नींव इत्यादि अभिप्रेत है;

- (ग) "सामुदायिक सेवा" से सफाई करना, झाड़ू लगाना, कूड़ा एकत्र करना, दीवारों से अभिरोखण की सफाई या सामुदायिक सेवा के रूप में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित कोई अन्य कार्य अभिप्रेत है;
- (घ) "उद्यान अपदूषण" से उद्यान या कृषि कार्यों से उत्तसर्जित कोई अपशिष्ट अभिप्रेत है;
- (ङ) "कूड़ा" से धूल, मिट्टी, बजरी, शव, पत्थर, सीमेन्ट, कागज, पशु शव, अवशिष्ट, पत्तियां और टहनियां, घास, तिनके, बक्से, नाल, गांठें, कतरनें, बुरादा, अस्तबल अवशिष्ट, व्यवसाय अवशिष्ट, खाद, अवकर, बोतलें, शीशा, टीन, खाने के डिब्बे, खाने के रैपर, खाद्य कण या अन्य वस्तुएं या सामग्रियां सम्मिलित हैं। इसमें खुले में पालतू पशुओं या मानवों द्वारा मूत्र या मल त्याग करना भी सम्मिलित होगा ;
- (च) "अध्यासी" से परिसर के वास्तविक कब्जाधारी या इसका प्रभार, प्रबंधन, नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति तथा संपत्ति के उपविभाजित या विभिन्न किरायेदारों या ठहरने वालों को किराये पर दिये जाने के मामले में वह व्यक्ति जो तत्समय किरायेदारों या ठहरने वालों से देय किराया प्राप्त कर रहा है, चाहे वह स्वयं के हिसाब में हो या इसके लिये अधिकृत या इसमें हित रखने वाले व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित अभिप्रेत है ;
- (छ) "स्वामी" से उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916, (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) तथा उ.प्र. नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) समनुदिष्ट किया गया तथा इसमें तत्समय के लिये किसी भवन या परिसर का अध्यासी भी सम्मिलित है ;
- (ज) "परिसर" से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो किसी एकल भवन से अथवा अनेक भवनों से साझा रूप से लगी हुई हो अथवा नहीं ;
- (झ) "सार्वजनिक स्थल" से प्रत्येक सार्वजनिक राजमार्ग, सड़क मार्ग, पहाड़ी दिशा, नाली, जलमार्ग, उप-मार्ग, सेतु, चौराहा, प्रांगण, गली, संकरी गली या रास्ता पैदल, पैदल मार्ग, पगडंडी, परेड, सार्वजनिक पार्क/उद्यान या खुला स्थान, (संलग्न या असंलग्न) भवन या परिसर, प्रत्येक थियेटर किसी प्रकार के सार्वजनिक मनोरंजन स्थल या सार्वजनिक आश्रय स्थल जहां प्रवेश भुगतान द्वारा अथवा उसके बिना हो सम्मिलित हैं ;
- (ञ) "थूकना" से कुछ चबाने के पश्चात् या बिना चबाये थूक को स्वेच्छा से बाहर फेंकना, गले से बलगम

निकालना, नसवार सूंघने या बिना सूंघे नाक से घ्राण/ बलगम निकालना, अभिप्रेत है ;

(ट) "अस्तबल अपदूषण" से घोड़ों, मवेशियों, भेड़ों, बकरियों तथा भैंसों, सूअरों, मुर्गियों, या अन्य पालतू पशुओं का मल और मूत्र तथा घोड़ों, मवेशियों, भेड़ों, बकरियों, भैंसों, सूअरों, मुर्गियों या अन्य पालतू पशुओं को रखने के लिये बनाये गये किन्हीं अस्तबलों या छप्पर से प्रवाहित अपशिष्ट अभिप्रेत है ;

(ठ) "सड़क" से किसी रास्ते, चौराहे, पगडंडी, वापसी गली, गलियारा या गुजरगाह जिससे जनता आ जा सके एवं किसी सार्वजनिक पुल के ऊपर, इसमें भी सम्मिलित है— मार्ग, राजमार्ग, गली खुला मैदान, प्रांगण, उद्यानपथ या ऐसी खाली जागीर जिसे सार्वजनिक इस्तेमाल में भले न लाया जा सके, नाले, नालियां, गढे, खाई, जलग्रीवा एवं सड़क किनारे के खाली स्थल आदि अभिप्रेत है ;

(ड) "व्यवसायिक अपदूषण" से किसी व्यवसाय उत्पादन या व्यापार, उद्योग या भवन प्रचालन का अपशिष्ट/ अवशिष्ट पदार्थ अभिप्रेत है ;

अधिनियम के अधीन
शास्ति एवं अपराध :

4. कोई भी व्यक्ति जो—

(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा रखता है, जमा करता है अथवा फेंकता है या रखने की अनुमति देता है ;

(ख) सार्वजनिक स्थल पर कोई खाद्य पदार्थ या अन्य पदार्थ या वस्तु सुखाता है या दूषित करता है ;

(ग) किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई रक्त, लवण—जल फेंकता है, रखता है या इस तरह से कोई हानिकारक द्रव्य या अन्य किसी प्रकार का अस्वास्थ्यकर मैला सार्वजनिक स्थल पर छलकाता है, गिराता/फैलाता है ;

(घ) किसी सार्वजनिक स्थल पर धूल, रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, घास, लिनके, कतरनें, बुरादा, राख, उद्यान अपदूषण, व्यवसायिक अपदूषण, खाद, कचरा या कोई अन्य वस्तु या पदार्थ चाहे किसी चलते हुए या खड़े वाहन से गिराता है, छलकाता है या बिखेरता है ;

(ङ) कोई चूना, राख, रेत, कोयला, बाल, रददी कागज, पंख या किन्हीं अन्य पदार्थों को इस प्रकार छाने, हिलाये या साफ करे जिससे कि वह हवा के माध्यम से किसी सार्वजनिक स्थल तक पहुँच जाये या जिसके पहुँचने की संभावना रहे ;

(च) किसी सार्वजनिक स्थल पर बोटल, ग्लास, डिब्बा, रैपर, खाद्य आवरण या अन्य वस्तुएं छोड़ना अथवा फेंकना इत्यादि;

(छ) किसी भवन निर्माण, परिवर्तन, गिराने या परिनिर्माण के दौरान या किसी भी अन्य कारणों से किसी सार्वजनिक स्थल पर बिना पूर्वानुमति के कोई पत्थर, सीमेन्ट, मिट्टी, रेत, लकड़ी या अन्य भवन सामग्री, वस्तु या पदार्थ जमा करता है, गिराता है अथवा छोड़ता है, जिससे किसी मार्ग का अवरुद्ध होना या जिसके कारण धूल, दुर्गन्ध या अपशिष्ट पदार्थों के कणों से या कोई अन्य सामग्री से अड़ौस-पड़ौस के वातावरण पर उसका दुष्प्रभाव पड़े अथवा जनमानस के स्वास्थ्य, सुख एवं दैनिक जीवन के खतरे को दूर करने हेतु आवश्यक/उचित सावधानियां बरतने में नाकाम/विफल रहना इत्यादि ;

(ज) सार्वजनिक स्थल पर कोई अनुपयुक्त वाहन, पानी की टंकी, सीमेन्ट मिक्सर या कोई अन्य अनुपयुक्त वस्तु या रद्दी, धातु रखता है या जमा करता है अथवा रखने या जमा करने देता है;

(झ) सार्वजनिक स्थल पर धूकता है, तो ऐसे कृत्य इस अधिनियम के तहत एक अपराधिक कृत्य होंगे।

हटाने को आदेश

5. (1) शहरी स्थानीय निकाय का प्राधिकृत अधिकारी किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जो किसी भी सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाने, कूड़ा- वाहन-रद्दी-मलबा इत्यादि को फेंकते या डालते पाया जाता है, को उक्त अपशिष्ट/सामग्री को उसके उचित रखाव स्थल पर स्थानान्तरित करने का आदेश दे सकता है।

(2) जहां शहरी स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्देश दिये जाने के पश्चात् भी यदि संदिग्ध व्यक्ति उस कूड़े, अनुपयुक्त/अनुपयोगी वाहन, अनुपयुक्त/अनुपयोगी वस्तु को हटाता नहीं है, तो ऐसे में स्थानीय निकाय उसे स्वयं हटवा कर उचित स्थान पर स्थानान्तरित करवायेगा तथा इस पर उपगत व्यय उस व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया राशि के रूप में वसूला जा सकेगा।

अपराधी के संबंधों का पूर्वानुमान:

6. धारा 4 के अधीन किये गये अपराधों के लिये वाहन चालक और वाहन स्वामी को अपराधी तब तक नहीं माना जायेगा जब तक कि अपराध प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता।

भूमि अथवा
भवन के अध्यासी
का उत्तरदायित्व:

7. यह कि इस अधिनियम में परिभाषित कोई धूल या अन्य पदार्थ, मलबा किसी भवन, भूमि या सार्वजनिक स्थल पर जमा किया गया है, या कोई पानी या अरुचिकर तत्व किसी सड़क या नाली में डाला, फेंका या बहाया गया है तो इस अधिनियम के उल्लंघन के तहत ऐसा कृत्य उस भवन या, भूमि के अध्यासी द्वारा या उसकी अनुमति से किया गया है, समझा जायेगा।

अध्यासी द्वारा
पैदल मार्ग,
पृष्ठ भाग और
निजी सड़क
को स्वच्छ रखा
जाना:

8. (1) किसी परिसर का स्वामी अपने परिसर के आसपास के क्षेत्र जिसमें साथ लगे पैदल मार्ग, पृष्ठ भाग सम्मिलित हैं, की सफाई करवायेगा और उन्हें स्वच्छ रखेगा।

(2) किसी निजी सड़क से लगे परिसर का स्वामी या अध्यासी अपने परिसर के सामने या साथ लगे सड़क के मध्य भाग तक सफाई करवायेगा।

दंड :

9.(1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम का उल्लंघन या अपराध करते हुये पाया जाता है और दोष सिद्ध होने पर अधिकतम पांच हजार रूपये तक के अर्थदण्ड या अधिकतम छः माह की अवधि हेतु कारावास या दोनों साथ के लिये भागी होगा।

(2) निरंतर अपराध किये जाने की स्थिति में रूपये पांच सौ प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त अर्थदण्ड अपराध जारी रखने की अवधि तक देना होगा।

(3) इसके अतिरिक्त उपधारा (1) में उपबंधित दंड के स्थान पर इस अधिनियम के किसी उल्लंघन के फलस्वरूप या किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किये जाने वाले और उसके द्वारा निष्पादित किये गये, इस अधिनियम के अधीन निर्देशित किसी कार्य के निष्पादन में, चाहे वह शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किया गया हो या किसी ठेकेदार द्वारा, शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपगत व्यय और उसके साथ व्ययों का अधिकतम दस प्रतिशत अधिभार का भुगतान, नियम भंग या उस कार्य को निष्पादित न करने वाले व्यक्ति को करना होगा। जिसकी वसूली भू राजस्व के बकाया के रूप में की जायेगी।

अपराधों का शमन:

10. (1) प्राधिकृत अधिकारी, अपने प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट समय के भीतर न्यूनतम दो सौ रूपये व अधिकतम पांच सौ रूपये की राशि स्थानीय निकाय/प्राधिकृत अधिकारी को भुगतान कर अपराध के शमन हेतु, युक्तियुक्त रूप से संदिग्ध व्यक्ति को लिखित प्रस्ताव देकर उस व्यक्ति द्वारा किये गये, शमन योग्य निर्धारित अपराध का शमन कर सकेगा।

- (2) यदि कोई व्यक्ति शमन की राशि का भुगतान करने में असमर्थ है तो वह शमन राशि के बदले स्थानीय निकाय में सामुदायिक सेवा प्रदान किये जाने हेतु अपना नामांकन करवा सकता है।
- (3) उपधारा (1) के अधीन प्रस्ताव, अपराध किये जाने के पश्चात् कभी भी क्रिन्तु इसके लिये अभियोग चलाये जाने से पहले किया जायेगा तथा यदि प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान नहीं किया जाता है या प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि जो कि शहरी स्थानीय निकाय प्रदान करे, के भीतर सामुदायिक सेवा नहीं की जाती है तो इसके पश्चात् ऐसे व्यक्ति, जिसको प्रस्ताव दिया गया था, के विरुद्ध किसी भी समय अपराध के लिये अभियोग चलाया जा सकेगा।
- (4) यदि उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का शमन किया गया है तो उसके पश्चात् अपराध के संबंध में उस व्यक्ति जिसको शमन का प्रस्ताव दिया गया हो, के विरुद्ध कोई अभियोग नहीं चलाया जायेगा।
- (5) शमन हेतु प्रस्ताव ऐसे प्रारूप में होगा जैसा कि नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट हो।

गिरफ्तारी की शक्ति

11. (1) कोई प्राधिकृत अधिकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध कर सकता है और पुलिस की सहायता से गिरफ्तार कर सकता है जो उसकी उपस्थिति में अपराध करते हुये या जिसके संबंध में वह युक्तियुक्त रूप से विश्वास रखता है कि उसने अधिनियम के अधीन अपराध किया है।
- (क) यदि उस व्यक्ति का नाम और पता उसे ज्ञात नहीं और वह व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इन्कार करता है; या
- (ख) उसके नाम और पते के सही होने के संबंध में संदेह होने का कारण है।
- (2) इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को निरुद्ध रखा जायेगा और चौबीस घंटे के भीतर उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जायेगा जब तक कि उस का सही नाम और पता निर्धारित न हो जाये।

संज्ञान लेने और अपराध विचारण हेतु न्यायालय सक्षमः

12. (1) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से अन्यथा कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञान नहीं लेगा और अपराध का विचारण नहीं करेगा।
- (2) कोई न्यायालय एक प्राधिकृत अधिकारी की लिखित शिकायत के बिना किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

- अधिनियम के अपराध असंज्ञेय और जमानतीय होंगे: 13. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के समावेशित होते हुए भी इस अधिनियम की धारा 3 के अपराध असंज्ञेय और जमानतीय होंगे।
- अपराधों का संक्षिप्त विचारणः 14. इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन संक्षिप्त विचारण हेतु उपबंधित तरीके से संक्षिप्त विचारण होगा।
- राज्य सरकार की नियम और विनियम बनाने की शक्ति : 15. राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ नियम और विनियम बना सकेगी।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र खुल्वे,
प्रमुख सचिव।

No 347/XXXVI(3)/2016/53(1)/2016
Dated Dehradun, November 30, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of '**the Uttarakhand Anti Littering and Anti Spitting Bill, 2016**' (Adhiniyam Sankhya 23 of 2016).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 29 November, 2016.

THE UTTARAKHAND ANTI LITTERING AND ANTI SPITTING ACT, 2016

(Uttarakhand Act no. 23, Year 2016)

To keep the State clean and pollution free, restriction on littering and spitting

An

Act

It is hereby enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty seventh year of the Republic of India as Follows:

Short title, extent and commencement 1. (1) This Act shall be called The Uttarakhand Anti Littering and Anti Spitting Act 2016.

(2) This Act shall come into operation on the date of its publication in the Gazette.

(3) This Act shall come in to force to the whole area under the jurisdiction of the Urban Local Bodies ('ULB' for Short) in the State of Uttarakhand.

Effect of Laws inconsistent without this Act 2. The provision of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law.

Definitions: 3. In this Act, unless the context otherwise requires:
(a) "Authorized Officer" means an Executive Officer, Medical Officer of Health, Chief Sanitary Inspector, Sanitary Inspector of ULB, an Officer of the Uttarakhand Police, not below the rank of Sub Inspector, a Revenue officer not below the rank of Revenue Inspector or an officer authorized by the District Magistrate for an area under his jurisdiction.

- (b) "building" includes any premises, house, hut, stall, shed or roofed enclosure, whether used for the purpose of human habitation or otherwise, and also any wall, fence, platform, staging, gate, post, pillar, paling, frame, boarding, landing-stage or bridge or any structure, support or foundation connected to the foregoing;
- (c) "Community Service" means cleaning, sweeping, collecting litter, clearing graffiti from the walls, or any other tasks notified by the urban local body as community service;
- (d) "garden refuse" includes any refuse from garden and agricultural operations;
- (e) "litter" means any dust, sand, earth, gravel, clay, stone, cement, paper, ashes, carcass, refuse, leaves and branches, grass, straw, boxes, barrels, bales, shavings, sawdust, garden refuse, stable refuse, trade refuse, manure, garbage, bottles, glass, can, food container, food wrapper, particles of food or other things, articles or materials. It will also include urinating or defecating by pets or humans in open;
- (f) "occupier" includes any person in actual occupation of any premises or having the charge, management or control thereof, and in the case of property subdivided or let to various tenants or lodgers, the person who for the time being is receiving the rent payable by the tenants or lodgers whether on his own account or as an agent for any person entitled thereto or interested therein;
- (g) "owner" shall have the same meaning assigned to it in the U.P. Municipalities Act, 1916 [as adapted, amended and made applicable to Uttarakhand] and the U.P. Municipal Corporation Act, 1959 [as adapted, amended and made applicable to Uttarakhand] and shall also include the occupier of any building or premises for the time being;
- (h) "premises" means land, whether enclosed or not which is appurtenant to a building or commonly appurtenant to several buildings.
- (i) "public place" includes every public highway, street, road, hill side, drain, waterway, subway, bridge, square, court, lane, alley or passage, bridle way, footway, parade,

- public/park, garden or open space (enclosed or unenclosed), building or premises, every theatre, place of public entertainment of any kind or any place of public resort to which admission is obtained or to which the public has access, whether on payment or otherwise;
- (j) "spitting" means voluntary ejection of saliva from the mouth after chewing or without chewing, ejection of mucus from nose after inhaling snuff or without inhaling;
- (k) "stable refuse" means the dung or urine of horses, cattle, sheep, goats, buffaloes, pigs, poultry or other domesticated animals and the sweepings or refuse of drainage from any stables or sheds for keeping horses, cattle, sheep, goats, buffaloes, pigs, poultry or other domesticated animals;
- (l) "street" means any road, square, footway, back lane or passage whether a thoroughfare or not, over which the public have a right of way, also the way over any public bridge, and also includes any road, footway, or passage, open court or open alley used or intended to be used as a means of access to two or more holdings, whether the public have a right of way there over or not; and all channels, drains, ditches and reserves at the side of any street shall be deemed to be part of such street;
- (m) "trade refuse" means the refuse of any trade, manufacture or business, industry or of any building operation;

Offences under the Act:

4. Any person who:
- (a) places, deposits or throws or causes or allows to be placed, deposited or thrown any litter in any public place;
- (b) dries or desecrates any article of food or any article or thing in any public place;
- (c) throws, places, spills or scatters any blood, brine, spills any noxious liquid or other offensive or filthy matter of any kind in such manner as to run or fall into any public place;
- (d) drops, spills or scatters any dirt, sand, earth, gravel, clay, loam, stone, grass, straw, shavings, sawdust, ashes, garden refuse, stable refuse, trade refuse, manure, garbage or any other thing or matter in any public place, whether from a moving or stationary vehicle or in any other manner;

- (e) sieves, shakes, cleans, beats or otherwise agitates any lime, ashes, sand, coal, hair, waste paper, feathers or other substances in such manner that it is carried or likely to be carried by the wind to any public place;
- (f) throws or leaves behind any bottle, glass, can, food container, food wrapper, particles of food or other articles or things in any public place;
- (g) during the construction, alteration or demolition of any building or erection or at any time whatsoever, deposits, drops, leaves in any public place, any stone, cement, earth, sand, wood or other building material, thing or substance, without prior permission, or who fails to take reasonable precautions to prevent danger to the life, health or well-being of persons using any public place from flying dust or falling fragments or any other material;
- (h) places or deposits or causes or allows to be placed or deposited any abandoned vehicle, water tank, cement mixer or any abandoned object or scrap metal in any public place,
- (i) Spits in any public place; Commits an offense under this Act.

Order to remove:

5. (1) The Urban Local Body or Authorized Officer may direct any person reasonably suspected of placing, depositing or causing or allowing to place or deposit any litter, abandoned vehicle, abandoned object or scrap metals in any public place to remove such litter, abandoned vehicle, abandoned object or scrap metals from such public place to a proper place.
- (2) Where such person fails to remove such litter, abandoned vehicle, abandoned objects or scrap metals after being directed by Urban Local Body or Authorized Officer, the Urban Local Body shall execute such removal to such proper place and any expenses incurred shall be borne by such person and may be recovered as arrears of land revenue.

Presumption as to offender:

6. For the offences committed under section 4, the driver and the owner of the vehicle shall be deemed to have committed the offence unless the contrary is proved.

Occupier of land or building to be held liable: 7. If in any case it is shown that any dust or other substance as mentioned in the above sections has been deposited in any public place in contravention of this Act from any building or land or that any such water or any offensive matter has run, drained or been thrown or put upon into any street or drain in contravention of this Act, it shall be presumed that the offense was committed by or by the permission of the occupier of such building or land.

Occupier to keep footpaths, backyard and Private Street clean: 8. (1) The owner or occupier of any premises shall cause the immediate vicinity of his premises, including the footpaths and backyards abutting thereon to be swept and kept clean.
(2) The owner or occupier of any premises abutting on a private street shall cause such portion of the street in front of, adjoining or abutting his premises and up to the centre thereof to be kept clean.

Penalties: 9. (1) Any person who contravenes any of the provisions of this act commits an offense and shall on conviction be liable to a fine not exceeding Five Thousand Rupees or to imprisonment for a term not exceeding six months or both.
(2) In the case of a continuing offense to a further fine not exceeding Five Hundred Rupees for every day during which the offense is continued.
(3) In addition to or in substitution for the penalty provided in sub-section (1) any expenses incurred by the Urban Local Body in consequence of any contravention of this Act or in the execution of any work directed under this Act to be executed by any person and executed by him, whether performed by the Urban Local Body or by some contractor, together with a surcharge of not more than ten percent of the expenses, shall be paid by the person committing the breach or failing to execute such work and may be recovered as the arrears of land revenue.

Compounding of offenses 10. (1) The Authorized Officer may compound any offense committed by any person and prescribed to be a compoundable offense by

making a written offer to the person reasonably suspected of having committed the offense to compound the offense upon payment to the Urban Local Body/ Authorized Officer of an amount not less than two hundred Rupees but not exceeding five hundred rupees within the time specified in the offer.

- (2) If the person is unable to pay the compounding amount / Fine, he/she can enroll for community service in the Urban Local Body in lieu of the compounding amount / Fine.
- (3) An offer under paragraph (1) may be made at any time after the offense has been committed but before any prosecution for it has been instituted, and if the amount specified in the offer is not paid or the community service is not done within the period specified in the offer or within such extended period as the Urban Local Body may grant, prosecution for the offense may be instituted at any time after that against the person to whom the offer was made.
- (4) If an offense has been compounded under paragraph (1), no prosecution shall be instituted after that in respect of the offense against the person to whom the offer to compound was made.
- (5) An offer to compound shall be in such form as specified under the rules.

Power to arrest:

11. (1) Any Authorized Officer may detain any person and have him arrested, with police help, whoever commits an Offence in his presence or whom he reasonably believes to have committed any offence under this act, if:
 - (a) the name or address of the person is unknown to him and the person declines to give his name and address; or
 - (b) there is any reason to doubt the accuracy of his name or address.
- (2) Any person arrested under this Act shall be detained and shall be brought before an Executive Magistrate within twenty four hours, unless his true name and exact address are sooner ascertained.

Court competent to take cognizance and try offenses:

12. (1) No Court other than the Court of a Judicial Magistrate First Class shall take cognizance of, and try an offense under this Act.
- (2) No court shall take cognizance of any offense except on a complaint in writing of an Authorized Officer.

- Offenses under the Act to be non cognizable and bailable:** 13. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, offenses under section 3 of this Act shall be non-cognizable and bailable.
- Summary trial of offenses:** 14. All offenses under this act shall be tried summarily in the manner provided for summary trial under the Code of Criminal Procedure 1973.
- Power of State government to make rules & regulations:** 15. The State Government shall make rules and regulations, for the purposes of carrying out into effect the provisions of this Act.

By Order,

RAMESH CHANDRA KHULBE,
Principal Secretary.